प्रेस विज्ञप्ति

23/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंचकूला में स्थित करण दीप सिंह के स्वामित्व वाली दो अचल संपत्तियों, एल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल, में 127.33 करोड़ रुपये के शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संबंध में मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप, इसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबद्ध संस्थाओं से जुड़ी चल रही धन शोधन जांच का हिस्सा है।

ईडी ने शुरू में कोलकाता पुलिस और उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एसीबी लखनऊद्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और420 के तहत मेसर्स एल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और एल्केमिस्ट समूह के प्रमोटर/निदेशकों, जिनमें कंवर दीप सिंह व अन्य शामिल हैं, के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

यह मामला फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाकर, असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करके, और/या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने के झूठे वादे करके निवेशकों को धोखा देने की एक बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश से संबंधित है। इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से, मेसर्स एल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मेसर्स एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने गैर-जिम्मेदार निवेशकों से लगभग 1,848 करोड़ रुपये अवैध रूप से एकत्र किए और बाद में अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि धन की हेराफेरी की गई राशि को एल्केमिस्ट समूह की संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेन-देन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से स्तरीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य धन के अवैध स्रोत को छिपाना था। इस दूषित आय का उपयोग अंततः शेयरों के अधिग्रहण और उसके बाद एल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के निर्माण में किया गया। लेन-देन जानबूझकर इन संपत्तियों को वैध दिखाने के लिए किए गए थे, जिससे अपराध की आय छिप गई। एल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयर क्रमशः 40.94% और 37.24% मेसर्स सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जो श्री कंवर दीप सिंह के पुत्र करण दीप सिंह के लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनी है।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने कंवर दीप सिंह को 12.01.2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, ईडी ने 02.03.2021 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष एक अभियोजन शिकायत और 19.07.2024 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की। ईडी पहले ही पाँच अलग-अलग अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 238.42 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर चुका है।

आगे की जांच जारी है।